श्री के.सी. त्यागी : सर, यह पुरानी परंपरा है...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : आप यह सवाल इस वक्त कैसे उठा रहे हैं?

श्री के.सी. त्यागी : सर...**(व्यवधान)**...

सुश्री मायावती : सर, आपने बुलेटिन वाली बात को रिपीट कर दिया है।...**(व्यवधान)**... सदन के जो नियम हैं, हम भी उन नियमों की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कभी-कभी जनहित के मामले होते हैं, तो उठाने पड़ते हैं। हमने इस संबंध में लिखित में नोटिस दिया है। यदि कल ज़ीरो ऑवर होता, तो हम लोग इस मामले को ज़ीरो ऑवर में ही उठाते।...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : देखिए, यह हाउस की प्रैक्टिस है कि जब...**(व्यवधान)**...

सुश्री मायावती : सर, जब कल ज़ीरो ऑवर था ही नहीं और आज भी ज़ीरो ऑवर नहीं है, तो हम इस मामले को कब उठाएंगे और आज हाउस खत्म हो जाएगा। आपको हमारी यह परेशानी तो देखनी चाहिए थी। यह उत्तर प्रदेश का मामला है, कल ज़ीरो ऑवर नहीं था और आज भी ज़ीरो ऑवर नहीं है, तो हम इस मामले को कब उठाएंगे?...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : देखिए, यह हाउस कभी भी खत्म नहीं होता है। यह perpetual है।

सुश्री मायावती : तो ठीक है।...**(व्यवधान)**... आप चाहते हैं कि बीएसपी का हमको सहयोग मिलना चाहिए, तो हम तो हमेशा आपको सहयोग देते हैं। हमने पिछली सरकार में भी आपको सहयोग दिया था और वर्तमान सरकार में भी हम आपको सहयोग देना चाहते हैं, लेकिन कम से कम यह तो देखना चाहिए कि कल ज़ीरो ऑवर नहीं था और आज भी ज़ीरो ऑवर नहीं है। यदि आज ज़ीरो ऑवर होता, तो हम अपनी बात ज़ीरो ऑवर में ही उठाते। अभी सत्ता पक्ष की ओर से वे मेरी बात से सहमत हैं, लेकिन वे मुश्किल में हैं, क्योंकि उनको आपका सहयोग चाहिए, मदद चाहिए, इसलिए वे गोलमोल कर गए हैं।...**(व्यवधान)**... क्योंकि उनको मालूम है कि आपकी मदद चाहिए। वे बोल नहीं रहे हैं, जबकि वे विपक्ष में बैठकर सब कुछ कहते थे। यह तो अच्छी बात नहीं है।...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Please, now can we continue? ...*(Interruptions)*... I request you. ...*(Interruptions)*... Let us continue. ...*(Interruptions)*... Papers to be laid on the Table. ...*(Interruptions)*...

PAPERS LAID ON THE TABLE

I. Notification of Ministry of Health and Family Welfare

II. Report and Accounts (2012-13) of AIIMS, New Delhi and related papers

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. HARSH VARDHAN): Sir, I lay on the Table:—

I. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Health and Family Welfare (Department of AYUSH) Notification No. G.S.R. 153 (E), dated the 5th March, 2014, publishing the Drugs and Cosmetics (Amendment) Rules, 2014, under Section 38 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940, along with delay statement.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 15/16/14]

II. (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (4) of the Section 18 and Section 19 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956:—

(a) Fifty-seventh Annual Report and Accounts of the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), New Delhi, for the year 2012-13, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

(2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 13/16/14]

...*(Interruptions)*...

श्री सभापति : भाई, आप यह क्या कर रहे हैं?...**(व्यवधान)**... This is not fair. ...*(Interruptions)*... This is not fair....*(Interruptions)*... The House is adjourned for ten minutes. ...*(Interruptions)*...

The House then adjourned at twenty two minutes past eleven of the clock.

The House re-assembled at thirty-one minutes past eleven of the clock,
MR. CHAIRMAN in the Chair.

PROCLAMATION UNDER ARTICLE 356 OF THE CONSTITUTION — *Contd.*

MR. CHAIRMAN: Hon. LoP, do you wish to say something?

श्री गुलाम नबी आज़ाद : माननीय चेयरमैन साहब, मेरी गुजारिश होगी और मैं रिक्वेस्ट करूंगा लीडर ऑफ दि हाउस से भी कि अगर सब की सहमति हो, आज हम सब की यही सहमति है कि यह दो दिन का सेशन है और समय बर्बाद न हो और दोनों तरफ से, विपक्ष की तरफ से भी और रूलिंग पार्टी की तरफ से भी बहुत सारे सदस्य बोलना चाहते हैं। तो मेरी